न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 27 / 2023

1 रतनलाल पुत्र मालाराम जाति माली निवासी मोतीसिंह की ढाणी वार्ड नम्बर 52 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 आशीष पुत्र मालाराम जाति माली निवासी मोतीसिंह की ढाणी वार्ड नम्बर 52 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 बजरंगलाल पुत्र बालु
2 लालचन्द पुत्र बालु
समस्त जाति माली निवासी मोतीसिंह की ढाणी वार्ड नम्बर 52 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3 नोरंगलाल पुत्र मालाराम
4 पुष्पा देवी पत्नी पन्नालाल
5 अशोक पुत्र स्व. पन्नालाल
6 माया पुत्री स्व. पन्नालाल
7 अनिता पुत्री स्व. पन्नालाल
8 सरोज पुत्री स्व. पन्नालाल
9 कंचन पुत्री स्व. पन्नालाल
10 प्रहलाद पुत्र खेता
11 सुशील कुमावत पुत्र ख्यालीराम
जाति कुमावत निवासीगण वार्ड नम्बर 46 शुक्ला की बगीची के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 गोदावरी पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खेतानों का मौहल्ला झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

13 नरेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बड़गांव तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

14 द्वारका पुत्र हरदेवाराम

15 रामरस पुत्र मदन

16 लालचन्द पुत्र मदन

समस्त जाति माली निवासी छीपीयों की ढाणी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

17 प्रहलाद पुत्र खेता जाति माली निवासी मोतीसिंह की ढाणी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

18 बैंक ऑफ बड़ौदा ाखा गांधी चौक झुन्झुनू जरिये ाखा प्रबंधक

19 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ाखा कलेक्ट्रेट झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

20 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू मुकदमा उनवानी बजरंगलाल वगै. बनाम
श्रतनलाल वगै. अ.धा. अस्थाई नि ोधाज्ञा मु.नं.
161/2022 खिलाफ आदेश दिनांक 13.12.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–27.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 161/2022 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्राथी रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्व ग्राम झुन्झुनू की भूमि खसरा नम्बर 272 व 273 के संदर्भ में धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि अनुसार एक सहखातेदार को उसके हिस्से के बेचान से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने स्वयं का हिस्सा तो विक्रय कर दिया। तदुपरांत विचाराधीन स्थगन प्राप्त कर अपीलांट को उसका हिस्सा बेचने से रोका जा रहा है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णित किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय से पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णित किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय से पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर